संख्या–385 / 15 / 09 / XIV–2 / 2009

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद नैनीताल / हरिद्वार / देहरादून / उधमसिंहनगर।
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 26 मई,2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनुदान संख्या–30 में आयोजनागत पक्ष की जिला योजनान्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति (शासनादेश संख्या–205 / XXVII–1) / 2009, दिनांक 25.03.2009 के क्रम में)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के आयोजनागत पक्ष की जिला योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) हेतु गन्ना विकास की योजना के अन्तर्गत लेखनुदान 2009–10 में कुल प्राक्कलनित बजट रू0 233.00 हजार (दो लाख तेतीस हजार रूपये मात्र) की धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सलग्नक में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित विवरणानुसार, सहर्ष प्रदान करते हैं।

2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण एवम् व्यय किया जाएगा।

3) जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत एवं विभागीय प्रस्ताव के पूर्ण परीक्षणोपरान्त उक्त धनराशि हेतु प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति जनपद स्तर पर मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी जारी करेंगे। जिला सेक्टर की योजनाओं में रू0 पचास लाख की सीमा तक की स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर पर तथा उससे अधिक धनराशि वाली योजनाओं की स्वीकृति मण्डलायुक्त स्तर पर जारी की जाएगी।

4) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओं की सीमा तक ही किया जाए। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत रूप से एवं अधिक व्यय न किया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग यदि अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनसे अनधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

5) सभी कार्यक्रमों / योजनाओं के मासिक / वार्षिक भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण स्वीकृत धनराशि के आहरण पूर्व कर लिया जाए तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों से शासन तथा वित्त / नियोजन विभाग को अवगत कराया जाए।

6) जिला / मण्डल स्तर पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने, स्वीकृति / व्यय की प्रगति का संकलन, नियमित अनुश्रवण एवम् प्रगति विवरण संबंधी समस्त प्रक्रिया में अर्थ एवम् संख्या विभाग के जिला / मण्डल स्तरीय अधिकारी तत्संबंधी पत्रावली सीधे जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त को प्रस्तुत

करेंगे। राज्य स्तर पर निदेशक अर्थ एवं संख्या एक पृथक प्रकोष्ठ गठित कर जिला योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का संकलन करके शासन को समयबद्ध उपलब्ध करायेंगे।

7) जिला एवम् मण्डल स्तर पर संचालित विकास कार्यों का नियमित अनुश्रवण–मूल्यांकन एवम् स्थलीय सत्यापन के लिए टास्क फोर्स गठित कर सत्यापन कार्य जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त सुनिश्चित करायेंगे।

8) स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/अपर सचिव (गन्ना विकास एवम् चीनी उद्योग) उत्तराखण्ड शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9) विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर नियमित रूप से वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10) जिलाधिकारी माहवार वित्तीय/भौतिक प्रगति सम्बन्धित मण्डलायुक्त को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे जिसे मण्डलायुक्त द्वारा मुख्य सचिव को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। मण्डलायुक्त प्रतिवेदन की प्रति नियोजन/वित्त एवं सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

11) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्यों/मद पर व्यय न की जाए, जो कि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी प्रतिबन्धित हो अथवा शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाए।

12) जनपद नैनीताल को आवंटित धनराशि अंकन रू0 6.5 हजार (छह: हजार पाँच सौ मात्र) का आहरण सहायक गन्ना आयुक्त उधमसिंहनगर, कोषागार उधमसिंहनगर से करेंगे तथा सहायक गन्ना आयुक्त उधमसिंहनगर पूर्व व्यवस्था के तहत जनपद नैनीताल को आवंटित धनराशि का नियमान्तर्गत उपयोग कराना सुनिश्चित करेंगे।

13) उक्त व्यय वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान/ आय व्ययक अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–00–108 वाणिज्यिक फसलें–02–अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0203–गन्ना विकास की योजना, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

संख्या– 395(1)/15/09/XIV–2/2009, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल / गढ़वाल मण्डल।
3– गन्ना एवम् चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
4– सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर।
6– वित्त अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7– बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–अधिशासी निदेशक, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–385 /15/09/XIV–2/2009, दिनांक 26 मई, 2009 का संलग्नक

अनुदान संख्या–30
2401–फसल कृषि कर्म
108–वाणिज्यिक फसलें
02–अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान
0203–गन्ना विकास की योजना
20–सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता

(धनराशि हजार रूपये)

क्र. सं.	कार्यक्रम	नैनीताल	उधमसिंहनगर	देहरादून	हरिद्वार	योग
1	गन्ना विकास की योजना					
	1–उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन की योजना	1.5	32.00	5.5	36.0	75.00
	2–बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम	3.5	66.00	11.00	39.5	120.00
	3–पेडी प्रबन्ध कार्यक्रम	1.5	33.00	3.5	–	38.00
	योग–	6.50	131.00	20.00	75.50	233.00

(दो लाख तेतीस हजार रूपये मात्र)

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनु सचिव।